Important

Related doctrines to ECA 1923

compensation principles [objectivity test - sec-4.

subjectivity lies in 2 principals

Imp

① direct Nexus Must to be established. [चोट का सीधा सम्बन्ध अनिवार्य है]
(connection)
[चर्लिन ग्रीरियन-केस - doctrine of direct Nexus]

② Burden of proof / सबूत का भार - claiment / depedent पर होगा जो मुआवजा पाने का दावा करेगा।

③ Reasonable weightege - बाई शकीरा v/s न्यूमानेचौक मिल्स [1961]

Justice shelaT → "यदि compensation के लिए Burden of Proof claiment पर हो तो यह अन्याय के समान है।"

④ Notional Extention theory / भावनात्मक प्रसार का सिद्धान्त

⑤ Doctrine of added peril / जोखिम जोड़ने का सिद्धान्त

Structure

36

(B

text- sec-4

Structure of the Act

- 36 sections (Basically 31)
- 4 Parts
- 4 Schedules

Important

[आंशिक & पूर्ण निःशक्तता]

4 Schedules — ①
- Part 1 - Total disablement — ⑥ Injuries
- Part 2 - Partial disablement — (50)

2. Employees/कर्मचारी - 2(1) d d
3. Occupational Diseases/उपार्जित रोग
4. Factors जब Permanent disablement या Death पर लगभग समान Compensation/प्रतिकर का प्रावधान है।

Applicability (प्रयोज्यता) of the Act

Factoring, Mines, transport, Establishment व निर्माण कार्य - लागू

Employer state Insurance Act 1948 - लागू नहीं

एक क्षति - एक प्रतिकर One Injury - One Compensation

Scanned with CamScanner

Section-2 Definitions

प्रोजेक्ट आफिसर ऑफ गि... हजारी
v/s
संजय प्रसाद चौरसिया & अ...

temporary
अस्थायी

Dependent/आश्रित - 2(1)(d)

मां के गर्भ में रहने वाला शिशु depedent की catagory मे

3 clauses

(i) विधवा, Minor legitimate, अविवाहित धर्मज पुत्री, व विधवा माता (Absolute dependent)

(ii) 18 year का वह पुत्र जो Infirm/शिथिलांग हो कोई ऐसा पुत्र/पुत्री तो वह dependent होगा

(iii) वे सभी व्यक्ति जो कर्मचारी की मृत्यु के समय पूर्णतयः या भागतः (Tottaly or partialy) उसके Earnings/उपार्जनों पर depend थे। - आश्रित
[विधवा माता नहीं आती]
→ Minor - भाई + बहन + अवयस्क विधवा बहन

पुन्नुस्वामी गाउन्डर v/s रंगास्वामी
माता-पिता शामिल है

RB मूंदड़ा co v/s मुसम्मात भनवारी 1970
विधवा पत्नी पुर्नविवाह के बाद भी compensation ले सकेगी (किन्तु विधवा मां पुर्नविवाह के बाद नहीं)

Disablement/निःशक्तता

[disablement का आशय उस Accident घटित होने के बाद वह change होता है जिससे कर्मचारी वह काम अब नहीं कर सकता जो वह Accident के पहले करता था]

- ★ Loss of capacity to work or move.
- ★ Reduction of earning capacity/ उपार्जन की क्षमता में कमी

Types
- Permanent or Temparory
- Partial or Total

Important

Partial Disablement/आंशिक निःशक्तता - 2(1)(g)

ऐसा कोई Disablement जो कर्मचारी के Earning/उपार्जन करने की capacity/क्षमता को Reduces/कम करता हो तथा यह किसी Accident/दुर्घटना के Resultant/परिणाम स्वरूप होना चाहिए।

Scanned with CamScanner

Temporary Partial Disablement
अस्थायी आंशिक निःशक्तता

(केवल उसी काम में Loss जो वह कर रहा था)

Reduces earning capacity in Employment, he was engaged at time of accident.

Permanent Partial Disablement
स्थायी आंशिक निःशक्तता

(सभी कामों में Loss होना जो वह कर सकता था)

Reduces earning capacity in every employment which he was capable of at time of accident.

NOTE - अनुसूची-1 भाग-2 में दी गई कोई भी क्षति स्थायी आंशिक निःशक्तता मानी जायेगी।

Crpc 1973 sec-29 - Power of Magistrate

Important

Section- 2(1)(L) Total Disablement / पूर्ण निःशक्तता

चाहे disablement स्थायी/अस्थायी हो जो किसी कर्मचारी को ऐसे सब काम के लिए असमर्थ कर देती है जिसे वह दुर्घटना के समय जिसके परिणामस्वरुप यह निःशक्तता हुई हो, करने में समर्थ था।

Permanent Total disablement

Part-1 schedule-1
total- 6 type

Scanned with CamScanner

Part-II के Injury का Combination loss % 100 से ज्यादा हो जायेगा तो वह **permanent Total Disablement** कहा जायेगा।

Loss of = 4 अंगुली + 1 अंगूठा
60%   50%
⇓
110% ⇒ PTD

Some Important Facts

* Earning is not same as earning capacity.
* …ysical capacity is Not co-extensive … arning capacity.
* …cal activity is relevent in assessing …t, such person inability, there is …ng capacity.

---

*अशोक कुमार हार्बर v/s UC
मु०न्यायधीश बाला साहब

*यशवन्त राव v/s MP 1979

*चार्लिन ग्रेरियन केस - direct Nexus.

*बाईशकीरा v/s न्यू माने चौकमिल्स
जस्टिस SHELAT (1961)

loss

tal

Compensation

Nature of liability

- Health
- Suffering

Test

- Pre
- post

Negligent Conduct / उपेक्षित कार्य

यदि कर्मचारी स्वयं किसी उपेक्षित कार्य को करता है तो वह compensation नहीं प्राप्त कर सकेगा।

Important

Section - 2 (1) (e) (ङ) Employer (नियोक्ता)

* कोई व्यक्ति-निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं;
* Employer का Managing Agent या मृत नियोजक का विधिक प्रतिनिधि आता है। (Legal Representative Absolute Liability में liable नहीं होता है)
* किसी अन्य को अस्थायी तौर पर उधार दे दी गई हो या भाड़े पर दी गई हो तो वहाँ 'नियोजक' से जब तक वह कर्मचारी उसके लिए काम करता रहता है तब तक वही उसका नियोजक होगा।

(A) —(contract)→ (B) —(उधार)→ (X) काम करने तक X ही B का Employer होगा।
↓
(Borrower Employer)

DTSK

Imp

DTSK सोसाइटी v/s सविता बेन

Society —contract→ कुली (गोदाम में माल ढुलाई के Purpose से)

Payment की जिम्मेदारी society की।

∵ contract society व कुलियों के बीच अतः सदस्यों की No liability.

जिला सहकारी केन्द्र बैंक मर्यादित v/s शहजादी बेगम

J दलवीर भण्डारी

Bank —(contract)→ (M) ड्राइवर(मृतक)

(M) —चुनाव duty→ (X) → चुनाव अधिकारी के अधीन

Employee माना गया और (X) को Employer decide किया गया

??? **Contract of service** (It will entertain in this Act.)

कौन सा काम करना है

कर्मकार पर एक Obligation लगाता है।

Personal labour.

??? **Contract for service** :- (एक प्रकार का ठेका)

काम + direction (कि उसे कैसे पूरा करना है)

कोई obligation नहीं लगता है।

मदन मोहन वर्मा v/s मोहन लाल

15₹ Per day → चारा काटने की मशीन व रुई धुनाई पर नियोजित। (11)

(i) ... छाप कर जाने पर

उसे भी मशीन लगाने वाले काम में शामिल माना गया।

Less Important

Section 2(1) [dd] Employee/कर्मचारी

Railways

(i) रेलवे सेवक जो, प्रशासनिक जिला या उपखण्डीय कार्यालय में स्थायी नहीं है व सूची-2 का नहीं है।

Crew of ship

(ii) (क) जलयान, नाविक या कर्मीदल या मालिक व अन्य सदस्य।

Air craft crew

(ख) वायुयान का कैप्टन, कर्मीदल व अन्य सदस्य

(ग) मोटरयान का → चालक, सहायक, क्लीनर, यांत्रिक (Mechanic)

कोयु बेलू v/s जोसेफ — सुपारी — Permanent माना गया था

(घ) कम्पनी द्वारा बाहरी (विदेश) कार्यों के लिए नियोजित है।

(जिसका जलयान, मोटरयान, वायुयान, कम्पनी भारत में रजिस्टर है)

(iii) Schedule-2 के व्यक्ति (निर्माण, खान, जहाज की Loading/Unloading, विद्युत का निर्माण व वितरण, ड्राइवर, हार्टीकल्चर, सर्कस में काम करने वाला व्यक्ति) — कर्मचारी

Newspaper Establishment office के बाहर जाकर News के लिए काम करने वाला भी Employee होगा।

Managing Director, Orissa State Warehousing Corporation v/s Smt. Geetarani

A —मालिक / contract→ B के लिए A के कहने पर काम करेगी X compensation

* पहले - X से ... बाद
* फिर A से

X का कर्मचारी माना गया था। →

Doctrine of Added peril
[जोखिम जोड़ने का सिद्दान्त]

अगर Employee खुद के Act से खतरे को बढ़ा लेता है तो वह ECA में compensation पाने का हकदार नहीं होता है।

Upper Do

Doctrine of Mutual Restraint :-

Legislative, Executive Judiciary- तीनों का काम constitution को लागू करना है व कोई भी एक दूसरे का Guardian नहीं है।

भूमरग्या कोल कार्पोरेशन v/s साहेबजन 1956

प्रोजेक्ट आफिसर गिड्डी कोलोरी CCL हजारीबाग
v/s
संजय प्रसाद चौरसिया व अन्य 2005

[माँ के गर्भ में होने वाला शिशु भी आश्रित है]

Scanned with CamScanner

Upper Doalia Sugar Mills Ltd. v/s Daulat Ram 1960

एक सोनार की दो अंगुली कट जाने पर क्या वह काम कर सकता है या नही ? Court व कमिश्नर के अनुसार वह काम कर सकेगा।

GRP Railway Bombay v/s Shankar 1950

A1 JOB के कर्मचारी की 1 आंख व 2 दाँत Accident में चले जाने के बाद रेलवे ने उसे B/c/d Grade की Job offer किया जिसको उसने मना किया।

Court- वह B/c/d Grade की Job को या Accident का compensation ले, यह उसकी इच्छा पर ही निर्भर करेगा। उस पर दबाव नहीं बनाया जा सकता है।

Section-4 A — Compensation to be paid when due and penalty for default

प्रतिकर का देय हो जाने पर अदा किया जाना व चूक की स्थिति में जुर्माना-

(क) Section 4 में compensation due होते ही दिया जाना चाहिए।

Scanned with CamScanner